न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

प्रार्थनापत्र सं0 -- 94/2018

प्रविष्टि दिनांक -- 16.08.2018

उनवान

लादू पुत्र रामदेवा जाति बैरवा उम्र .... वर्ष निवासी ग्राम गोहरपुरा तहसील व जिला टोंक(राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. श्योकिशन पुत्र श्री भोज्या जाति गुर्जर
2. काना पुत्र श्री भोज्या जाति गुर्जर
3. लाला पुत्र श्री भोज्या जाति गुर्जर
   निवासीयान ग्राम गोहरपुरा तहसील व जिला टोंक (राज0)
4. तहसीलदार जी टोंक (राज0)

अप्राथीगण

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज0)

निर्णय

(प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

दिनांक 14/03/2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि अभिभाषक प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवून्यू एक्ट प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार आराजी खसरा नं0 231/452 रकवा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 252/2 रकवा 1 बीघा, कुल किता 3 कुल रकवा 6 बीघा वाके ग्राम गोहरपुरा पटवार हल्का सोनवां तहसील व जिला टोंक राज0 आवेदक की खातेदारी की भूमि है, जिसका लगान भी राज्य सरकार को आवेदक ही अदा करता है। मौके पर सीमांकन ना होने से अप्रार्थीगण आवेदक के उक्त खातेदारी की भूमि को दबाकर निर्माण करना चाहते है। सीमांकन नहीं होने से नाजायज फायदा उठाना चाहते है। ऐसी स्थिति में आवेदक के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह उक्त आराजीयात का तहसीलदार टोंक या सक्षम अधिकारी से पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो तथा आवेदक की भूमि सुरक्षित रह सके। आवेदक पत्थरगढ़ी का समस्त खर्चा वहन करने को तैयार है। बिनाय आवेदन दो माह पूर्व पैदा हुआ, जब अप्रार्थीगण नें तहसीलदार टोंक से सीमा ज्ञान करवाना चाहा, तो उन्होने कहा कि आवेदक की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी है, सीमांकन नहीं करेंगे। अतः आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि आवेदक का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टोंक या सक्षम अधिकारी को आदेश दिया जावे कि आवेदक की खातेदारी खसरा नं0 231/452 रकवा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 252/1 रकवा 1 बीघा, कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा वाके ग्राम गोहरपुरा पटवार हल्का सोनवां तहसील व जिला टोंक राज0 की पत्थरगढ़ी करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो आवेदक के हित में हो, प्रदान की जावे।

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित न्यायालय नहीं होने के उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी संवत 2070–73,पेश किय गये। जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में एक तरफा बहस सुनी गई एवं बहस के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित भूमि की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण का उपस्थित न्यायालय होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करना भी प्रार्थनापत्र की स्वीकारोक्ति की ओर इशारा करता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने की अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी हेतु नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर, अपनी उपस्थिति मे भूमि नं0 231/452 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 252/2 रकबा 1 बीघा, कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा वाके ग्राम गोहरपुरा पटवार हल्का सोनवां, तहसील टोंक का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाकर, पालना रिपोर्ट दिनांक 15 दिवस से पूर्व इस कार्यालय मे भिजवाने की सुनिश्चितता करे।

आदेश आज दिनांक 14/03/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner